

कार्यालय मुख्य सम्पदा प्रबन्धक : राजस्थान आवंटन भण्डाल : जयपुर वृत्त-द्वितीय-जयपुर

क्र०मु०सं०५०/ज०वृ-द्वि०/८९-९०/ २१०९

दिनांक : १५-९-८९

महोदय,
विषय : भूमिगत जल संचयन योजना, अमेटी
सी-१२७, खानपुरा गाँव, तालुका-मथुरा,
जयपुर।

विषय :- डिस्पोजल आफ प्रोपर्टी रैगुलेशन्स १९७० की धारा ३४ के अन्तर्गत
आवंटित भूखण्ड का आवंटन पत्र।

सन्दर्भ :- आपका प्रार्थना पत्र दिनांक २१/१२/८८।

महोदय/ महोदया

उपरोक्त सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपको, संस्था को सम्पत्ति
आवंटन समिति द्वारा दिनांक २०/७/८९ को मानसरोवर योजना में सेक्टर-११, ख. रक. ए
में ११७८१ वर्ग मी० भूमि का आवंटन किया गया है। यह आवंटन डिस्पोजल
आफ प्रोपर्टी रैगुलेशन्स १९७० की समस्त शर्तों के अनुसार होगा।

२- १क॥ भूखण्ड की कीमत का विवरण :

१- भूखण्ड का क्षेत्रफल	११७८१ मी.	११७८१ = ११.७८१
२- भूखण्ड की कीमत		२६३१८७६=०० ✓
योग		२६३१८७६=०० ✓

१ख॥ कब्जा लेने से पूर्व एक माह में जमा कराने योग्य राशि का विवरण:

१- कुल कोमत का ५० प्रतिशत	१०,५२,७५१=०० ✓
२- अन्य विविध खर्चें प्लस विकास शुल्क	९९९६१ = ५२ ✓
३- लीज की राशि एक वर्ष की पेशगी	७७१८९ = १३ ✓
योग :	१२,२९,९०१=६५ ✓

कृपया उपरोक्त राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न चालान द्वारा इस पत्र
के जारी होने के एक माह के अन्दर जमा कर इस कार्यालय को प्रस्तुत
करें।

क्र०मु०सं०५०

भूमि की कीमत को रोज 60 प्रतिशत राशि रु 1579125 ----- आपको
6 छ:माहो कितनों में नीचे लिखी तालिका के अनुसार जमा कराना होगा:-

क्र०सं०	किस्त रु०	ब्याज	कुल राशि	जमा कराने की तिथि
1-	263190=00	94747=50	357937=50	13/3/90
2-	263187=00	78956=10	341143=10	13/7/90
3-	263187=00	63164=88	326351=88	13/3/91
4-	263187=00	47373=66	310560=66	13/9/91
5-	263187=00	31582=44	294769=99	13/3/92
6-	263187=00	15791=22	278978=22	13/9/92

नोट : आवश्यक शर्तें :

- 1- निर्धारित समय में राशि जमा न होने पर आवंटित भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं मण्डल उस भूमि को अन्य संस्था को देने के लिए स्वतंत्र होगा ।
- 2- संस्था को आवंटित भूखण्ड की चार दीवारों के निर्माण पर लगने वाला व्यय संस्था को वहन करना पड़ेगा जिसका निर्माण मण्डल द्वारा कराया जायेगा ।
- 3- मण्डल प्रारंभ में 50 प्रतिशत भूमि हो हस्तान्तरित करेगा शेष भूमि संस्था के नाम आरक्षित रखी जायेगी जो निर्माण कार्य की प्रगति को देखने के बाद हस्तान्तरित की जावेगी ।

भवदीय,

[Signature]
14/5/83

सम्पदा प्रबन्धक,

जयपुर वृत्त द्वितीय,

राज० आवासन मण्डल,

जयपुर ।

प्रतिलिपि सूचनायें एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- आवासीय अभियन्ता, राज० आवासन मण्डल, खण्ड *[Signature]* जयपुर ।
- 2- वसूली प्रकोष्ठ, ।

कार्यालय सम्मदा प्रबन्धक, वृत्त-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- 2688

दिनांक:- 30/11/92

महा-सचिव,
इण्डियन कान्सिल फॉर इन्टरनेशनल,
अमेटी, सी-127, दयानन्द मार्ग,
तिलक नगर, जयपुर ।

विषय:- डिस्पोजल ऑफ प्रोपरटी रेग्यूलेशन 1970 की धारा
34 के अन्तर्गत आवंटित भूखण्ड का आवंटन पत्र ।

सन्दर्भ:- आपका प्रार्थना पत्र दिनांक: 16-7-92

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपकी
संस्था को सम्पत्ति आवंटन समिति द्वारा दिनांक 16-7-92 को मान-
सरोवर योजना के सेक्टर-12, में 6250 व.मी. भूमि का आवंटन किया
गया है । यह आवंटन डिस्पोजल ऑफ प्रोपरटी रेग्यूलेशन 1970 की धारा
34 की समस्त शर्तों के आधार पर होगा :-

§क§ भूखण्ड की कीमत का विवरण:-

§1§ भूखण्ड का क्षेत्रफल	6250 व.मी.
§2§ भूखण्ड की कीमत	22, 12, 500/-रु.

योग:- 22, 12, 500/-

§ख§ कब्जा लेनेसे पूर्व एक माह में जमा कराने योग्य राशि का विवरण:

§1§ कुल कीमत का 40%	8, 85, 000/-
§2§ अन्य विविध खर्चे	56, 450/-
§3§ लीज की राशि एक वर्ष प्रेशगी	66, 375/-

योग:- 1, 007, 825/-

संस्था द्वारा पूर्व में जमा दिनांक 1-10-92 33950/-

4-1-92

अधिक जमा संस्था द्वारा 26125/-

संस्था द्वारा अधिक जमा राशि 26125/-रुपये आगामी 6

किशतों में से प्रथम किशत में समायोजित करली गई है ।

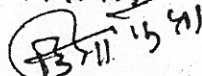
भूमि की कीमत का शेष 60% रुपये 1327500/-रुपये संस्था को 6
छमाही किशतों में नीचे लिखी तालिका के अनुसार जमाकरानी है।

क्रम सं०	किश्त	ब्याज	कुल राशि	दिनांक
1-	195125/-	78082.50	273207.50	4.7.92
2-	221250/-	66375/-	287625/-	4.1.93
3-	221250/-	53100/-	274350/-	4.7.93
4-	221250/-	39825/-	261075/-	4.1.94
5-	221250/-	26550/-	247800/-	4.7.94
6-	221250/-	13275/-	234525/-	4.1.95

आवश्यक शर्तें:-
=====

- ॥1॥ निर्धारित समय में राशि जमा न होने पर आंवटित भूखण्ड का आंवटन निरस्त कर दिया जावेगा व मण्डल उस भूमि को अन्य संस्था को देने के लिए स्वतंत्र होगा ।
- ॥2॥ संस्था को आंवटित भूखण्ड की चार दीवारी के निर्माण पर लगने वाला व्यय संस्था को वहन करना पड़ेगा, जिसका निर्माण मण्डल द्वारा कराया जावेगा ।
- ॥3॥ मण्डल प्रारम्भ में 50% भूमि ही हस्तान्तरित करेगा । शेष भूमि संस्था के नाम अक्षरक्षित रखी जावेगी जो निर्माण कार्य की प्रगति को देखने के बाद हस्तान्तरित की जावेगी ।

नोट:- यह आंवटन पत्र पूर्व में जारी पत्र क्रमांक 1680 दिनांक 5-12-91 के निरन्तर क्रम में जारी किया गया है तथा राशि जमा कराने की तिथि ऊपर लिखित अनुसार ही रहेगी ।

भवदीया,


सम्पदा-प्रबन्धक,
वृत्त-द्वितीय, जयपुर ।